कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (सीपीसी) की बैठक सं0 61/2000 दिनांक 15-7-2000 को सायं 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री ए·एन·भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कापरेटिव)जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री पी·अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा,जयपुर ।
2- श्री रमेश चन्द शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी,जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर ।
3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कापरेटिव)जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कापरेटिव)जविप्रा,जयपुर ।

---

(1) विभिन्न उपायुक्त जोन्स द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

1·1- एजेण्डा सं0 61/2000-1 :- सहकारी विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के संशोधित व मौके के अनुसार मानचित्र अनुमोदन के संबंध में (जोन बी-2) :-

प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-2 द्वारा प्रकरण में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया तथा समिति को बताया गया कि मौके पर पूर्व स्वीकृत योजना की पूर्व तथा उत्तर दिशा की बाउण्ड्री के माप व आकार में मामूली अंतर आ रहा है । जिसके अनुसार संशोधित मानचित्र तैयार किया गया है । मौके पर योजना में पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही 35 भूखण्ड है । समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बताये गये तथ्यों एवं प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर योजना में सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वाकृत मानचित्र के अनुसार यथावत रखते हुए संशोधित मानचित्र को स्वीकृत किया गया । फिलहाल भूखण्ड सं0 28 का नियमन न किया जाए और इसके उत्तर में स्थित सड़क को भी 30 फिट चौड़ी करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए ।

····2

170

1•2- एजेण्डा सं0 61/2000-2 :- दा कृष्णा कॉपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी की योजना भगवती नगर -II के भूखण्ड सं0 102 ए/1 के संबंध में :-

उपरोक्त योजना के भूखण्ड सं0 102 ए/1 के भूखण्डधारी श्री झाबरमल कुलदीप के प्रकरण के संदर्भ में सदस्य सचिव, बीपीसी-II (सीपीसी) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया गया कि योजना के भूखण्ड सं0 102 से 103 तक के ब्लौक में भूखण्ड सं0 102 व 102 ए/1 के बीच सैट बैक को विलोपित करते हुए इस सम्पूर्ण ब्लौक को रो-हाऊसिंग के रूप में रखा जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-II (सीपीसी) (कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: डी. 31.
दिनांक: 27.7.2000
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक (आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- अति0आयुक्त (भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।
5- वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर ।
6- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-II (सीपीसी) (कॉपरेटिव)